



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 985]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/ फाल्गुन 14, 1940

No. 985]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/ PHALGUNA 14, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 1119(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (2) के अधीन “आधार” शब्द के पश्चात् “या अन्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद (ड.) में, “ग्राहक कुंजी युग्मित” शब्दों के पश्चात् “और अन्य ई-केवाईसी सेवाओं के” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 12(10)/2018-सीसीए]

पंकज कुमार, अपर सचिव

टिप्पण : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दूसरी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 61(अ), तारीख 27 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 539(अ), तारीख 30 जून, 2015 और सा.का.नि. 446(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 1119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following amendment to the Second Schedule to the said Act, namely:—

1. In the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), in the Second Schedule,—
 - (i) under column (2), after the word "Aadhaar" , the words "or other" shall be inserted;
 - (ii) under column (3),—
 - (a) in item (c), after the word "Aadhaar", the words " or other" shall be inserted;
 - (b) in item (e), after the words " subscriber's key pair", the words " and other e-KYC services" shall be inserted.

[F. No. 12(10)/2018-CCA]

PANKAJ KUMAR, Addl. Secy.

Note : The Second Schedule to the Information Technology Act, 2000 was amended *vide* notification number G.S.R. 61(E), dated the 27th January, 2015, G.S.R. 539(E), dated the 30th June 2015 and G.S.R. 446(E), dated the 27th April 2016.